कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जिला भोपाल (म. प्र.)

क्रं0/2351/ रीडर /अजिद/2023 भोपाल,दिनॉक 26/05/2023

// आदेश //

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

विभिन्न स्वयं सेवी संस्थानों, नागरिको एवं अन्य माध्यमों से जानकारी में आया है कि भोपाल जिले के विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रानिक सिगरेट सहित अन्य नशीले पदार्थों का संग्रहण एवं विक्रय किया जा रहा है। इलेक्ट्रोनिक निकोटिन डिलिवरी सिस्टम उपयोगकर्ता विभिन्न रसायनो के संपर्क में आते हैं जैसे नाइट्रोसामाइन्स, बेंजीन, इथिलीन ऑक्साइड, और एक्रीला माइड जो स्वास्थ्य प्रभावों के साथ के कैंसर एवं तंत्रिका तंत्र को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। ये उत्पाद बड़े पैमाने पर, विशेष रूप से बच्चों, किशोरावस्था, गर्भवती महिलाओं और प्रजनन आयु की महिलाओं के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भण्डारण और विज्ञापन) का प्रतिषेध कानून 2019 के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक सिगरेट को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अतः इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मेरा यह समाधान हो गया है कि, बच्चों एवं किशोरों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्तर को गिरने से बचाने एवं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए तथा जन सामान्य के स्वास्थय को देखते हुए इलेक्ट्रानिक सिगरेट, हीट–नॉट–बर्न डिवाइसेज, वेप ई–शीशा, ई–निकोटीन फ्लेवर्ड हुक्का और उनके जैसे अन्य उत्पाद जो निकोटीन प्रदान करने में सक्षम हैं के निर्माण, वितरण, विक्रय, व्यापार, आयात और विज्ञापन, (ऑनलाइन सहित) पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है ।

अतः **मैं आशीष सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल** दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित को बनाये रखे हेतु भोपाल जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्न लिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूं :–

1. भोपाल जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाक्षेत्र में इलेक्ट्रानिक सिगरेट, हीट–नॉट–बर्न डिवाइसेज, वेप ई शीशा, ई–निकोटीन फ्लेवर्ड हुक्का और उनके जैसे अन्य उत्पाद जो निकोटीन प्रदान करने में सक्षम हैं के निर्माण, वितरण, विक्रय, व्यापार, आयात और विज्ञापन, (ऑनलाइन सहित) को प्रतिबंधित किया जाता है ।
2. इलेक्ट्रानिक सिगरेट का चाहे पूर्ण उत्पाद के रूप मे हो या इसके किसी भाग के रूप में, उत्पादन या विनिर्माण या आयात या निर्यात या परिवहन या विक्रय या वितरण को प्रतिबंधित किया जाता है ।
3. कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रानिक सिगरेट का विज्ञापन नहीं करेगा या किसी विज्ञापन में भाग नहीं लेगा, जो प्रत्यक्षः या परोक्ष रूप से इलेक्ट्रानिक सिगरेट के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है । चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे । अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभाशील होगा । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश दिनांक26/05/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

Court of Collector & Distt. Magistrate

(आशीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला भोपाल
Collector & Distt. Magistrate
BHOPAL.

पृष्ठांकन कमांक / 2351 / अजिद / 2023 भोपाल,दिनॉक 26 / 05 / 2023

प्रतिलिपि :— **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।**

1. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. पुलिस आयुक्त, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. पुलिस अधीक्षक भोपाल (देहात) भोपाल ।
4. आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल।
5. समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, समस्त एसडीएम / समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भोपाल।
7. समस्त पुलिस उपायुक्त / समस्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त / समस्त उप पुलिस उपायुक्त / समस्त थाना प्रभारी भोपाल।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
8.. उप संचालक, संभागीय जनसंपर्क एवं केन्द्र निदेशक आकाशवाणी / दूरदर्शन भोपाल।
9. प्रभारी अधिकारी पुलिस नियंत्रण कक्ष, जहाँगीराबाद भोपाल।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला भोपाल
Collector & Distt. Magistrate
BHOPAL.

Court of Collector & Distt. Magistrate Bhopal (M.P.)